संख्या–वे0आ0–2–467ए / दस–54(एम) / 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः जुलाई, 2013

विषय– वेतन समिति (2008) द्वारा राजकीय विभागों के स्टोर कीपर संवर्ग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) द्वारा राजकीय विभागों के स्टोर कीपर संवर्ग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों को निम्नानुसार स्वीकार करने का निर्णय लिये गये हैं :––

(i) स्टोर कीपर संवर्ग का त्रिस्तरीय संवर्गीय ढ़ाँचा (सहायक स्टोर कीपर, स्टोर कीपर तथा वरिष्ठ स्टोर कीपर) रखा जाय। संवर्ग में विद्यमान कुल पदों की संख्या के 50 प्रतिशत पद सहायक स्टोर कीपर के, 30 प्रतिशत पद स्टोर कीपर के तथा 20 प्रतिशत पद वरिष्ठ स्टोर कीपर के रखे जायें।

(ii) संवर्ग में सहायक स्टोर कीपर के प्रथम स्तर के पद पर निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाय :––

(अ) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा

15 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों, जिन्होंने इस रूप में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो तथा हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो, से पदोन्नति द्वारा।

सीधी भर्ती हेतु इण्टरमीडिएट तथा हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रतिमिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति– मिनट की गति की अर्हता निर्धारित की जाय।

(ब) पूर्व उप प्रस्तर–(अ) के अनुसार सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से जो

अभ्यर्थी नियुक्त होंगे उन्हें सर्वप्रथम वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/– में नियुक्त किया जाय। तदोपरान्त जब उपरोक्तानुसार नियुक्त कार्मिक किसी प्रतिष्ठित संस्था से कम्प्यूटर संचालन में डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेंगे तब उन्हें वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/– अनुमन्य कराया जाय।

सहायक स्टोर कीपर के पद पर जो कार्मिक सम्प्रति कार्यरत हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/– अनुमन्य कराया जाय।

(iii) संवर्ग में स्टोर कीपर के द्वितीय स्तर के पद पर अनुमन्य वेतनमान रू0 4000–6000 (सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। स्टोर कीपर के पदों को 07 वर्ष की सेवा वाले सहायक स्टोर कीपर पदधारकों से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाय।

(iv) संवर्ग में वरिष्ठ स्टोर कीपर के तृतीय स्तर के पद पर अनुमन्य वेतनमान रू0 4500–7000 (सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। वरिष्ठ स्टोर कीपर के पदों को स्टोरकीपर के रूप में 05 वर्ष की सेवा वाले पदधारकों अथवा संवर्ग में कुल 12 वर्ष की सेवा वाले स्टोरकीपर पदधारकों से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाय।

(v) उपर्युक्त के फलस्वरूप स्टोर कीपर संवर्ग का ढ़ॉचा निम्नानुसार होगा :––

क0 सं0	पदनाम/ पूर्व वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)	संशोधित वेतनमान/ वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	संवर्ग में विद्यमान कुल पदों की संख्या का प्रतिशत	भर्ती की विधि
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	सहायक स्टोर कीपर/	(i) वर्तमान पदधारकों को तत्काल प्रभाव से वेतन	50	85 प्रतिशत सीधी भर्ती, सीधी भर्ती हेतु अर्हता– इण्टरमीडिएट

	रू0 3050–4590 (वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/–)	बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/– (ii) सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थी की सर्वप्रथम वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/– में नियुक्ति। उपरोक्तानुसार नियुक्त कार्मिक द्वारा किसी प्रतिष्ठित संस्था से कम्प्यूटर संचालन में डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेने पर वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/– अनुमन्य होगा।		तथा हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रतिमिनट तथा अंग्रेजी टंकण 30 शब्द प्रति– मिनट की गति। 15 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे चतुर्थ श्रेणी क कार्मिकों, जिन्होंने इस रूप में 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी क ली हो तथा हाईस्कूल परीक्ष उत्तीर्ण की हो, से पदोन्नति द्वारा
2.	स्टोर कीपर/ रू0 4000–6000 (वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/–)	वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–	30	07 वर्ष की सेवा वाले सहायक स्टोर कीपर पदधारकों से ज्येष्ठत एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
3.	वरिष्ठ स्टोर कीपर/ रू0 4500–7000 (वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–)	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–	20	स्टोरकीपर के रूप में 05 वर्ष की सेवा वाले पदधारकों अथव संवर्ग में कुल 12 वर्ष की सेव वाले स्टोरकीपर पदधारकों से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

उपर्युक्तानुसार संशोधित ढ़ाँचे में उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तत्काल प्रभा से अनुमन्य किया जाय।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–467ए(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।